

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 से 3

नये थानों की स्थापना योजनांतर्गत ₹ 147.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 4 से 5

इंदिरा आवास योजना हेतु राशि ₹ 944.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु कुल राशि ₹ 9,44,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 6

राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजना तथा पशुधन बीमा योजनांतर्गत नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रीडिंग अन्तर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ₹ 500.00 लाख व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 7 से 8

बिगड़े वनों का सुधार अन्तर्गत ₹ 100.00 लाख अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9 से 10

राष्ट्रीय बांस मिशन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 80.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 80 लाख अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 11 से 12

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु राशि ₹ 504.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल राशि ₹ 5,04,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 13

नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।